



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082021-229308  
CG-DL-E-31082021-229308

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3238]  
No. 3238]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 31, 2021/भाद्र 9, 1943  
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 31, 2021/BHADRA 9, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2021

**का.आ. 3528(अ).**—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 सितम्बर, 2021 को उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त हो गई हैं) और अध्याय 5 और अध्याय 6 (धारा-76 की उप धारा-(1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त हो गई हैं) के उपबंध तमिलनाडु राज्य के मयिलादुथुरै, वेल्लूर एवं अरियलूर जिलों के (पहले से कार्यान्वित किये गये क्षेत्रों के अतिरिक्त) सम्पूर्ण क्षेत्रों में प्रवृत्त होने की तारीख नियत करती है।

[फा. सं. एस-38013/06/2021-एस.एस.1]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2021

**S.O. 3528(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1<sup>st</sup> day of September, 2021 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the entire area of Mayiladuthurai, Vellore and Ariyalur districts in the State of Tamil Nadu, in addition to the already implemented area in the district.

[F. No. S-38013/06/2021-SS.1]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.

4818 GI/2021